संख्या:72/2017/649/35-4-2017-2058/2015

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 31 अक्टूबर,2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपनेपत्र संख्या:1256/ले0-28/2010, दिनांक 21.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा छठी आर्थिक गणना,2012 नामक पुस्तिका (400 प्रतियॉं) के मुद्रण पर हुये व्यय से संबंधित बीजक बिल रूपये 5,49,992/ - (रूपये पॉंच लाख उन्चास हजार नौ सौ बान्वे मात्र)के भुगतान किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./रा.के 100%) के अन्तर्गतमानक मद 18-प्रकाशन में हुई बजट व्यवस्था रू. 5.50 लाख (रूपये पॉंच लाख पचास हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या: N-11016/26/2011/ESD-VIEC, दिनॉंक 18.09.2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु अवशेष बची धनराशि रू. 5.50 लाख (रूपये पॉंच लाख पचास हजार मात्र)को वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय किये जाने हेतु नवीनीकृत कर दिया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के पत्र संख्या: 1256/ ले0-28/ 2010, दिनॉंक 21.09.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./ रा.के 100%) के अन्तर्गत मानक मद 18-प्रकाशन में हुई बजट व्यवस्था रू. 5.50 लाख (रूपये पॉंच लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनॉंक 03.08.2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, जिसका कडाई से अनुपालन किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय मानक मद 18- प्रकाशन के अन्तर्गत हुयी बजट व्यवस्था की धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट)अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन/ अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/ सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा ।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./ रा.के 100%) के अन्तर्गत मानक मद 18-प्रकाशन"के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनॉक 03.08.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-72/2017/649(1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक (ईएसडी), भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।